:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल RAS

मुकदमा नम्बर 58/2023

दायर दिनांक : 25/12/2023
फैसल दिनांक : 03/07/2024

1 कनका पिता वक्ता डामोर
2 जयन्ति पिता भवना डामोर
3 बाबु पिता भवना डामोर
4 श्रीमति भुरी पुत्री केहरा डामोर
5 भीखा पिता रतना डामोर
6 श्रीमति मधी पुत्री भवना डामोर
7 श्रीमति मंशी पुत्री भवना डामोर
8 श्रीमति रतना पिता वक्ता डामोर
9 श्री रमेश पिता भवना डामोर
10 लक्ष्मण पिता वक्ता डामोर उम्र वयस्क निवासी दिपपुरा हल्का माण्डली त. सीमलवाडा जिला डूँगरपुर।

–वादीगण

बनाम

1 श्रीमति जैसी उर्फ कंकु पुत्री केहरा डामोर निवासी दिपपुरा पटवार हल्का माण्डली त. सीमलवाडा जिला डूँगरपुर हाल निवास अपने पति भवानीसिंह पिता भुरा निवासी लिम्बोदरा तालुका मेघरज जिला अरवल्ली गुजरात।
2 श्री दौलतराम पिता सरदार जी जाति डामोर निवासी भैसला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान।
3 श्री राजस्थान सरकार जरिए भुमिधारी तहसीलदार साहब सीमलवाडा जिला डूँगरपुर।

–प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र ऑर्डर 39 रूल 1 व 2 जा.दी. सपठित धारा 151जा.दी.

उपस्थितः–
श्री मनीष कलाल अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री नरेश जोशी अधिवक्ता विपक्षीगण सं. 1 व 2 की ओर से।
पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. एक की पैतृक भूमि मौजा दीपपुरा में स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 252, 3, 463, 464, 465, 478, 486, 487, 495, 496 रकबा 2.7519 हैक्ट. है। जिसमें सभी संयुक्त रूप से खेती कर रहे है। विपक्षी कंकु की शादी 50 वर्ष पूर्व कर दी गई और वह गुजरात निवास करती है। उसका कब्जा नहीं है। विपक्षी जैसी द्वारा खसरा नम्बर 495 व 496 मे अपना 1/15 हिस्सा विपक्षी दौलतराम को विकय कर दिया है, जबकि बटवारा बकाया है। विकय पत्र प्रभाव शून्य व बेअसर है। विपक्षी दौलतराम द्वारा छिपे तौर पर भूमि को कय किया गया है। खसरा नम्बर 495, 496 बाबत् मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विपक्षीगण उपरोक्त भूमि को विकय रहन बक्षीस नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। विपक्षी सं. एक की ओर से कोई उपस्थित नहीं तथा विपक्षी सं. दो द्वारा जवाब पेश किया जाकर उल्लेखित किया कि खसरा नम्बर 495, 496 वादीगण के संयुक्त हिस्से व मालिकाना हक की हो कथन अस्वीकार है। बल्कि खसरा नम्बर 495, 496 वादीगण एवं प्रतिवादी दौलतराम के संयुक्त हिस्से व मालिकाना हक की है, जो राजस्व रिकार्ड से भी प्रमाणित हो रहा है। बंटवारा नही होना रही है, प्रतिवादी दौलतराम ने वादीगण से उपरोक्त भूमि के बंटवारे बाबत् कहा तो पहले तो वादीगण ने सहमति व्यक्त की फिर यह झुठा वाद पेश कर दिया है। उक्त खसरा नम्बर 495, 496 पर एक मात्र वादीगण का काश्त करना अस्वीकार है। बल्कि खसरा नम्बर 495, 496 पर वादीगण एवं दौलतराम का संयुक्त कब्जा काश्त है तथा लोन, वादी कनका द्वारा उसके स्वयं के हिस्से पर लिया गया है। जिससे प्रतिवादी दौलतराम बाधित नहीं है। वादीगण को प्रारंभ से विक्रय पत्र की जानकारी रही है। विक्रय पत्र पूर्ण रूप से वैध होकर विक्रय पत्र को संपादित करने का प्रतिवादीया जैसी को पूर्ण अधिकार था। प्रतिवादी दौलतराम द्वारा भूमि को छिपे तौर नहीं खरीदी गई है, बल्कि विधि अनुसार विक्रय पत्र का संपादन करवाया गया है तथा विधि अनुसार इंतकाल प्रमाणित हुआ है। प्रतिवादी दौलतराम सहखातेदार है, जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के वादीगण अधिकारी नहीं है।

प्रकरण मे बहस सुनी गई। उभयपक्ष द्वारा अपनी लिखित बहस के माध्यम से प्रार्थना–पत्र व जवाब में उल्लेखित कथनों को दोहराया गया है। हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है? मेरे विनम्र मत मे यह सिद्ध तथ्य है कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण सहखातेदार है तथा अप्रार्थीया जैसी द्वारा अपनी भूमि में अपना हिस्सा दोलतराम को विक्रय किया गया है जिसका उसको अधिकार था तथा सहखातेदारी भूमि पर कब्जा सभी सहखातेदार का कब्जा माना जाता है तथा ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थीगण के पक्ष मे स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी सं. एक व दो को भारी असुविधा होगी, क्योंकि वह भी सहखातेदार है तथा जहां तक विक्रय पत्र शून्य व प्रभावहीन दस्तावेज होने का प्रश्न है, यह मूल वाद में तय होगा। प्रार्थीगण का ना तो प्रथमदृष्टया मामला, ना सुविधा संतुलन और ना अपूरणीय क्षति का मामला पाया जाता है। ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मत में प्रार्थीगण किसी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र न्यायसंगत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। आदेश आज दिनांक 03.07.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner